



उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों,
कार्यालय ज्ञापनों आदि का संकलन

संख्या

डा०उमाकान्त पवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन अनुभाग-2

देहरादून दिनांक : 5 फरवरी, 2013

विषय :- छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संस्कृति विभाग के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व रू० 6500-10400 में सृजित पदों पर कार्यरत कर्मिकों के वेतनमान पुनर्संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2912/स०नि०उ०/दो-166/2011-12, दिनांक 12 जनवरी, 2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत संस्कृति निदेशालय एवं इसके अर्धनस्थ ईकाईयों में दिनांक-01-01-2006 के पूर्व वेतनमान रू० 6500-10500 में सृजित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के इस शासनादेश के परिशिष्ट-क के स्तम्भ-3 में इंगित वर्तमान वेतनमान(रू० 9300-34800 एवं ग्रेड पे रू०-4200) के स्थान पर स्तम्भ-5 में इंगित वेतनमान(रू० 9300-34800, ग्रेड रं रू० 4600) में पुनर्संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सम्बन्धित कर्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/XXVII(7)/40(2)/2012, दिनांक-13 अप्रैल, 2012 की तालिका-1 के अनुसार किया जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-42/XXVII(7)/40(2)/2012, दिनांक-12 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
(डा०उमाकान्त पवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या-82/VI-2/2013-13(संस्कृति)/2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, देहरादून।
2. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पांडी/अल्मोड़ा/नैनीताल।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा.से.
(डा०उमाकान्त पवार)
सचिव